



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 770

बिलासपुर, दिनांक 9-3-17

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
रायपुर छत्तीसगढ़

विषय:- Diversion of 153.448 ha. Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act' 1980 coming under to Construction of 765 KV D/C Jharsuguda-Dharamjaygarh 2nd Transmission line.

Online Registration/Proposal No: FP/CG/TRANS/8080/2014 Dated 22.11.2014

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/163/दिनांक 17.01.2017 एवं
व.म.अ. रायगढ़ का पत्र क्र./तक./525/दिनांक 04.03.2017

--0--

विषयांतर्गत लेख है कि, प्रकरण में 465 के.व्ही. झारसगुड़ा धरमजयगढ़ द्वितीय ट्रांशमिशन लाईन के लिए आवेदित 153.448 हे. के बदले 306.896 हे. पूर्व में प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में परिवर्तन कर निम्नानुसार बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	प्रस्तावित रकबा	रिमार्क
1	रायगढ़	रायगढ़	933 (P)	16.000	वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार अतिक्रमण बेदखली की जा रही है एवं प्रस्तावित स्थल पर मार्ग नहीं है।
			964 (P)	40.327	
		सारंगगढ़	1075	15.000	
			1076	55.000	
			OA दमदमा	60.000	
रायगढ़ वनमण्डल योग :-				186.327	
2	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	80	67.411	
			62	40.409	
जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल योग :-				107.820	
3	कोरबा	करतला	OA1467	12.749	
महायोग :-				306.896	

अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 306.896 हे. क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रतिवेदन एवं शेष फाईल, हार्डकॉपी एवं

ऑनलाईन प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर